



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर, सूरतगढ

9-11-19/19

21/10-15.10.19

अनवान:-

श्रीमती उम्मेद कंवर बनाम श्रीमती सिरे कंवर व अन्य
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर टी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न0 व तारीख अहकाम
14.10.2019	<p>आज वादीया ने यह वाद पत्र अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश किया। न्यायालय के सीगेदार से रिपोर्ट ली गई। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 30/12/2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ </p> <p> पत्रावली पेश हुई। उम्मेद पक्ष अपने वादीया के जरिये पक्षीय प्रारूप प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य पंचायती तौर पर समझौता हो गया है कोर्ट विवाद नहीं है। वाद पत्र हट्टी त्वा पर ड्रॉप किया जावे। प्रतिवादी की ओर से B.O. शर्मा ने पत्रावली का जवाब पत्रावली में आगे छोड़े कार्यवाही नहीं चाहती है। अपड वाद पत्र हट्टी त्वा पर ड्रॉप किया जाता है। मंजूर से फम हो। </p> <p style="text-align: center;">आदेश मुनाजा गभा</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ </p>	

30/12/19

30/12/19

